कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : UP32201UP1999SGC024928
दूरभाष 0522–2288656 E Mail- ce.hydel@uppcl.org

पत्रांक–868–अ–7/तकनीशियन(विद्युत)/सीधी भर्ती/2024 दिनांक : 21/06/2024

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या–10/विसेआ/2022/तकनीशियन (विद्युत) के अन्तर्गत चयनोपरान्त उपलब्ध कराए गए तकनीशियन (विद्युत) अभ्यर्थियों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की विभिन्न सहयोगी वितरण निगमों एवं उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष दि0 01.01.2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स लेवल–4, रू0 27200 (न्यूनतम स्तर) एवं अन्य भत्ते निगम में लागू नियमानुसार तथा वर्णित सेवा शर्तो एवं अन्य प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा नियुक्ति हेतु निम्नानुसार निगम आवंटित किया जाता है:–.

S No	Roll No	Candidate Name	Father's Name	Selected As Category	Allotted Company
1	2	3	4	5	6
1	12161200221	BALVANT KUMAR BHARTI	GULAB RAM	SC	MVVNL
2	21141140069	KALYANI SINGH	RAVI SHANKAR SINGH	ST	PVVNL
3	21161160330	SHASHIKANT YADAV	LOCHAN YADAV	OBC	UPPTCL
4	22131130397	SHIV BHOOSHAN SINGH	OM PRAKASH SINGH	UR	MVVNL
5	22161200106	SURYA PRAKASH KESARWANI	SUBHASH CHANDRA KESARWANI	EWS	MVVNL
6	31111110098	SANTOSH KUMAR	DEVANAND SHARMA	UR	DVVNL
7	31181250089	KISHAN KUMAR	DINESH KUMAR	UR	UPPTCL
8	32141140375	RAHUL GAUR	MUNNI LAL GAUR	ST	UPPTCL
9	41211290220	TANYA KESARI	ALOK KESARI	EWS	UPPTCL
10	42121120013	RAVI KUMAR	SHREERAM	SC	UPPTCL
11	51161170482	PUSPENDRA KUMAR	RAM KARAN	SC	DVVNL
12	51181240077	UPENDRA KUMAR	GIRISH KUMAR SINGH	EWS	PVVNL
13	52131130311	SATYENDRA KUMAR GOND	JAGDEESH PRASAD	ST	MVVNL
14	52161170032	SADANAND	SURESH	OBC	PVVNL
15	61161160065	KAMAL KUMAR YADAV	JAI SRI PRASAD YADAV	OBC	MVVNL
16	62151150016	AMIT KUMAR	SHIV SHANKAR	SC	PVVNL
17	62191260110	RAHUL KUMAR	GANGARAM	OBC	PVVNL

Kumar

..............क्रमशः

उक्त चयनित अभ्यर्थी आवंटन के उपरान्त योगदान ग्रहण करने की तिथि से तकनीशियन (विद्युत) के पद पर आवंटित निगम के आमेलित कार्मिक माने जायेंगे एवं उनका स्थानान्तरण आवंटित निगम के कार्य क्षेत्र में कही भी किया जा सकेगा।

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को विभिन्न खण्डों में तकनीशियन (विद्युत) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने स्तर से विभिन्न खण्डों को आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाएगा।
2. **प्रशिक्षण** :– उपरोक्तानुसार नियुक्ति के पश्चात् क्लासरूम प्रशिक्षण निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिया जायेगा जिसकी सूचना निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा सीधे तकनीशियन (विद्युत) के तैनाती निगम से सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को दी जायेगी।

उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश सं0 689–काविनी एवं विनियम/पाकालि/2018–13 –विनियम/2018 दिनांक 17.12.2018 के अनुपालन में नव नियुक्त तकनीशियन (विद्युत) अभ्यर्थी को कारपोरेशन में प्रथमतः 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसमें से 01 माह का क्लासरूम अभिविन्यास प्रशिक्षण विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ तथा 11 माह का ऑन जॉब प्रशिक्षण उनके तैनाती कार्यालयों में प्रदान किया जायेगा। तकनीशियन (विद्युत) से यह अपेक्षा होगी कि वह गम्भीरता एवं उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

तकनीशियन (विद्युत) का प्रशिक्षण के उपरान्त नियमितीकरण उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर करेगा। मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षणोपरांत एवं 100 अंक की परीक्षा आयोजन विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक तकनीशियन (विद्युत) को प्रतिभाग लेना अनिवार्य होगा। उक्त नियमितीकरण परीक्षा के दो भाग होंगेः–

भाग–ए : जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये क्लासरूम प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा। यह भाग 50 अंक का होगा।

भाग–बी : जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये ऑन जॉब प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा। यह भाग भी 50 अंक का होगा।

प्रत्येक भाग में प्रशिक्षु को न्यूनतम 25 अंक और भाग–ए एवं भाग–बी को मिलाकर समग्रता में 100 अंक में से 60 अंक का अर्जन, उत्तीर्ण होने हेतु अनिवार्य होगा, तभी उनका प्रशिक्षण समाप्त कर नियमितीकरण का आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षणोपरांत ली गयी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण काल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिसके उपरान्त पुनः नियमितीकरण हेतु इसी प्रकार की प्रकिया दोहरायी जायेगी। पुनः अनुत्तीर्ण होने पर आगे प्रशिक्षण अवधि नही बढ़ायी जायेगी और ऐसे तकनीशियन (विद्युत) की नियुक्ति, उसको अनुपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत समाप्त कर दी जायेगी।

3. नियुक्त किये गये तकनीशियन (विद्युत) की सेवाएं 'परिचालकीय कर्मचारी सेवा विनियमावली 1995 (यथा संशोधित)' के अन्तर्गत होगीं एवं इन पर इस सेवा विनियमावली के समस्त प्राविधान एवं शर्ते लागू होगीं।
4. विभिन्न सहयोगी वितरण निगमों एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को आवंटित तकनीशियन (विद्युत) की वरिष्ठता (Seniority) उनके तैनाती निगम के सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक द्वारा विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली मेरिट लिस्ट एवं वरिष्ठता संबंधित विनियमावली के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

...............क्रमशः

5. **सचिव, विद्युत सेवा आयोग के पत्रांक 192/विसेआ/10–विसेआ–2022–तकनीशियन (विद्युत) दि० 05.03.2024 , 220/विसेआ/10–विसेआ–2022– तकनीशियन (विद्युत) दि० 16.03.2024, 322/विसेआ/10–विसेआ– 2022–तकनीशियन (विद्युत) दि० 23.04.2024, 361/विसेआ/10–विसेआ–2022–तकनीशियन(विद्युत) दिनांक 06.05.2024 एवं 477/विसेआ/10–विसेआ–2022–तकनीशियन(विद्युत) दिनांक 18.06.2024 के अनुपालन में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि :–**
   (क) आवेदन पत्र पर लगी फोटो, हस्ताक्षर, प्रवेश पत्र पर लगे फोटो, हस्ताक्षर आदि आपस में मेल खाते हैं।
   (ख) संगत सेवा विनियम में निहित प्राविधानों का अनुपालन तथा अभ्यर्थियों के अभिलेखों की मूल प्रमाण पत्रों से जॉच अपने स्तर पर कराना समीचीन होगा।
   (ग) अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों की सम्बन्धित संस्था से प्रमाणिकता की जांच नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।
6. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शैक्षिक एवं अर्हता सम्बन्धी अथवा अन्य कोई सूचना/अभिलेख किसी भी स्तर पर गलत/असत्य/अपूर्ण पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी स्तर पर अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला कभी भी प्रकाश में आता है, तो उसका चयन/नियुक्ति निरस्त कर उपयुक्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या–868–अ–7/तद्दिनांक/ 21.06.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उन्हें आवंटित अभ्यर्थियों की विद्युत सेवा आयोग से प्राप्त समस्त अभिलेखों सहित मूल पत्रावली(फोल्डर) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन खण्डों के अधिशासी अभियन्ता को उनके खण्डों में तकनीशियन(विद्युत) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध उपरोक्तानुसार एवं संलग्न प्रारूप की अनुरूपता में उक्त प्रस्तर–05 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये नियुक्ति पत्र यथाशीघ्र निर्गत करवाने का कष्ट करें:–

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ को **05** अद्द मूल पत्रावलियां (फोल्डर)।
2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को **02** अद्द मूल पत्रावलियां (फोल्डर)।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को **05** अद्द मूल पत्रावलियां (फोल्डर)।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को **05** अद्द मूल पत्रावलियां (फोल्डर)।

संलग्नक :–

1. नियुक्ति पत्र का प्रारूप।
2. चल–अचल सम्पत्ति का प्रारूप।
3. निष्ठा एवं गोपनीयता का घोषणा पत्र।
4. राजनैतिक दल से सम्बन्ध न रखने का घोषणा पत्र।

...............क्रमशः

5. एक ही जीवित पत्नी/पति को रखने का घोषणा पत्र।

(अरूण कुमार)
वैयक्तिक सहायक–द्वितीय
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या–868–अ–7/तद्दिनांक/ 21.06.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0। (Email Id: md@uppcl.org)
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0। (Email Id: director_p @uppcl.org)
3. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (Email Id: director_eti @uppcl .org)।
4. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0। (Email Id: sectyvsa@ uppcl.org) ।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाइल।

Kumar
21.06.2024
(अरूण कुमार)
वैयक्तिक सहायक–द्वितीय
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

कार्यालय

....

....

....

पत्र संख्या : दिनांक :

नियुक्ति–पत्र

श्री / श्रीमती / कु०...............

....

....

महोदय / महोदया,

आपको सहर्ष सूचित करना है कि विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के विज्ञापन संख्या–10 / विसेआ / 2022 / तकनीशियन (विद्युत) के अन्तर्गत तकनीशियन (विद्युत) के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या ....दिनांक ....के परिप्रेक्ष्य में प्रबन्ध निदेशक, ...(आवंटित निगम का नाम) के कार्यालय ज्ञाप संख्या .... दिनांक .... द्वारा आपकी नियुक्ति अस्थायी तकनीशियन (विद्युत) के पद पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में दिनांक 01.01.2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के लेवल–4 (वेतन ₹ 27200–86100) पर इस खण्ड के अन्तर्गत .... उपकेन्द्र पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा आपकी सेवाएं कभी भी बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व नोटिस दिये समाप्त की जा सकती हैं।
2. कारपोरेशन के आदेश सं0 225–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2021–04–काविनी / 20 दिनांक 09.03.2021 के अनुसार यह नियुक्ति 01 वर्ष (12माह) का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अग्रेतर प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर 2 वर्ष के लिये की जा रही है तथा इस सम्पूर्ण अवधि में यदि आपका कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक पाया जाता है तभी सेवा के नियमितीकरण हेतु कार्यवाही की जायेगी।
3. नियुक्ति के पश्चात् आपको आवंटित ....**(आवंटित निगम का नाम)** के कार्य क्षेत्र में कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। आवंटन के उपरान्त योगदान ग्रहण करने की तिथि से आप इस पद पर आवंटित निगम के आमेलित कार्मिक माने जायेंगे।
4. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. कार्यभार ग्रहण करते समय आपको निम्न औपचारिकतायें पूर्ण करनी होंगी :–
   (क) अभ्यर्थी का फोटो युक्त पहचान प्रमाण–पत्र (आधार कार्ड / पैन कार्ड आदि)।
   (ख) चल–अचल सम्पत्ति का घोषणा–पत्र।
   (ग) कारपोरेशन की सेवा के प्रति निष्ठा का घोषणा–पत्र।
   (घ) किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्ध न रखने का घोषणा–पत्र।
   (ङ) यदि अभ्यर्थी विवाहित है तो एक ही जीवित पत्नी / पति को रखने हेतु घोषणा पत्र।

(च) जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित वर्ग में हो)।

(छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।

(ज) कारपोरेशन के आदेश संख्या–1416–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2023–4–काविनी/2020 टी0सी0 दिनांक 12.01.2024 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुपालन में **"सेवा अनुबंध पत्र"** कार्मिक से उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप में निष्पादित किया जायेगा।

6. **प्रशिक्षण** :– आपको निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्लासरूम प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसकी सूचना निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा सीधे तैनाती इकाई के सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को दी जायेगी। उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश सं0 689–काविनी एवं विनियम/पाकालि/2018–13–विनियम/2018 दिनांक 17.12.2018 के अनुपालन में नव नियुक्त तकनीशियन (विद्युत) को कारपोरेशन में प्रथमतः 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसमें से 01 माह का क्लासरूम अभिविन्यास प्रशिक्षण विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ तथा 11 माह का ऑन जॉब प्रशिक्षण उनके तैनाती कार्यालय में प्रदान किया जायेगा। तकनीशियन (विद्युत) के रूप में आपसे यह अपेक्षा होगी कि आप गम्भीरता एवं उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

तकनीशियन (विद्युत) का प्रशिक्षण के उपरान्त नियमितीकरण उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर करेगा। मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षणोपरांत एवं 100 अंक की परीक्षा आयोजन विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक तकनीशियन (विद्युत) को प्रतिभाग लेना अनिवार्य होगा। उक्त नियमितीकरण परीक्षा के दो भाग होंगे :–

भाग–ए : जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये क्लासरूम प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा। यह भाग 50 अंक का होगा।

भाग–बी : जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये ऑन जॉब प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा। यह भाग भी 50 अंक का होगा।

प्रत्येक भाग में प्रशिक्षु को न्यूनतम 25 अंक और भाग–ए एवं भाग–बी को मिलाकर समग्रता में 100 अंक में से 60 अंक का अर्जन, उत्तीर्ण होने हेतु अनिवार्य होगा, तभी उनका प्रशिक्षण समाप्त कर नियमितीकरण का आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षणोपरान्त ली गयी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण काल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा जिसके उपरान्त पुनः नियमितीकरण हेतु इसी प्रकार की प्रक्रिया दोहरायी जायेगी। पुनः अनुत्तीर्ण होने पर आगे प्रशिक्षण अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी और ऐसे तकनीशियन (विद्युत) की नियुक्ति, उसको अनुपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत समाप्त कर दी जायेगी।

7. उपरोक्त प्रशिक्षण के दौरान तकनीशियन (विद्युत) के पद का नियमानुसार अर्ह वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

8. **बन्ध पत्र** :– तकनीशियन (विद्युत) के पद पर नियुक्ति के उपरान्त कार्मिक को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर द्वारा प्रदत्त 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 11 माह की ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि (कुल 12 माह) के अतिरिक्त अग्रेतर 02 वर्ष की सेवा सहित अर्थात 03 वर्ष से पूर्व कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आपको बिन्दु संख्या–05 के उप बिन्दु–ज में निष्पादित "सेवा अनुबन्ध–पत्र" के अनुसार रूपये 75,000/– की धनराशि कारपोरेशन में जमा करानी होगी।

9. आपकी सेवा 'परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 (यथा संशोधित)' के अन्तर्गत होगी एवं आप पर इस विनियमावली के समस्त प्राविधान एवं शर्तें लागू होंगे।

10. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप 615–पे0एवंआर0–28/पाकालि/2002–8 काविनी/2001 दिनांक 22.02.2002 एवं तत्सम्बन्धी सपठित आदेशों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान आप पर लागू होंगे।

11. नियुक्ति पत्र जारी होने के तिथि से विलम्बतः 30 दिन की अवधि में अभ्यर्थी को ज्वाइन करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि तक ज्वाइन न करने पर यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

12. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शैक्षिक एवं अर्हता सम्बन्धी अथवा अन्य कोई सूचना/अभिलेख किसी भी स्तर पर गलत/असत्य/अपूर्ण पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

13. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी स्तर पर अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला कभी भी प्रकाश में आता है, तो उसका चयन/नियुक्ति निरस्त कर उपयुक्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(अधिशासी अभियन्ता)
विद्युत..................................,..........

पत्रांक : .... **दिनांक : ....**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, ... विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को/ट्रांस्को .... को उनके कार्यालय ज्ञाप संख्या .... के सन्दर्भ में।
2. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
4. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(पारेषण) ....।
6. अधीक्षण अभियन्ता ....।
7. व्यक्तिगत प्रत्रावली।

(अधिशासी अभियन्ता)
विद्युत..................................,.........

संलग्नक–02

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा–पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई चल/अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतपश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की वार्षिक घोषणा करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर
नाम..
पदनाम..
दिनाँक..

(ख) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ।

भूमि सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गयी है तो उसके अर्जन का दिनाँक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है				अर्जित या पैतृक यदि अर्जित किया गया है तो उनके अर्जन का विवरण	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे है या किराये पर दिया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्र0 सं0	ग्राम नगर, उपनगर	जनपद	गृह सं0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपयुर्क्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित करने के दिनॉक को जानकारी पाने के दिनॉक से एक मास के भीतर घोषित कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम...
दिनॉक..

टिप्पणी:– अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बन्धक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रतिबन्धित की गयी समझी जायेगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (शेयर) या जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट) नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (शेयर) या जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं हूँ। यदि एतदपश्चात मैं कोई हिस्से अर्जित करूँगा/करूँगी या जमा पूँजी लगाऊँगा/लगाऊँगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम...
दिनॉक..

(घ) उनके लिए जो हिस्से (शेयर) के स्वामी/स्वामिनी है या जिनकी अन्य जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट) है। मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूँजी रखता/रखती हूँ।

क्र0सं0	**विवरण**	**अर्जित करने का दिनॉक**	**प्रत्येक हिस्से मूल्य**	**धारित हिस्सों की संख्या**	**हिस्सो का क्रय मूल्य**	**टिप्पणी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

चल सम्पत्ति

(च) केवल उनके लिए जिनके पास पायी चल सम्पत्ति नहीं हैं

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतदपश्चात् कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में घोषणा करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम..
दिनॉक..

(छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/स्वामिनी हूँ।

क्र0सं0	**सम्पत्ति का विवरण**	**क्रय धारण करने की तिथि**	**मूल्य**	**क्या क्रय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गयी थी, यदि हाँ तो उस अनुज्ञा की सं0 तथा दिनॉक**	**टिप्पणी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य कर्मचारी के एक माह के वेतन से अधिक है।

हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम..
दिनॉक..

जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट)

क्र0सं0	विवरण	पूँजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूँगा/करूँगी या अन्य कही पूँजी लगाऊँगा/ लगाऊगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित पंचवर्षीय घोषणा में कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम...
दिनॉक...

<u>संलग्नक–03</u>

<u>निष्ठा एवं गोपनीयता का घोषणा पत्र</u>

मैं एतदद्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि.. (निगम का नाम) के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं कारपोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा व श्रद्वापूर्वक लगाये रखूँगा/रखॅगी तथा उसके कार्य–कलापों की पूर्णरूप से गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी मैं आयी किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम..
दिनॉक...

संलग्नक–04

राजनैतिक दल से सम्बन्ध न रखने का घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र श्री..

निवासी (पूरा पता)..

....तदद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि :–

(क) मैं न तो किसी ऐसे राजनीतिक दल/संस्था का सदस्य हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो।

(ख) और न हो किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो।

(ग) और न हो भविष्य में उनसे कोई सम्बन्ध/मेलजोल अथवा सहानुभूति रखूंगा/रखूंगी।

हस्ताक्षर

नाम...

पदनाम..

दिनॉक..

एक ही जीवित पत्नी/पति को रखने का घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... ग्राम .... पोस्ट .... तहसील .... जिला .... राज्य .... एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि :–

(क) (1) मै अविवाहित हूँ।

अथवा

1) मैं विवाहित हूँ तथा मेरी/मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है। मेरी पत्नी/मेरे पति का नाम .... पुत्री/पत्री श्री .... ग्राम .... जिला .... राज्य .... है।

(2) मेरा अपनी पत्नी/पति से तलाक नहीं हुआ है और ना ही तलाक/सम्बन्ध–विच्छेद सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रक्रिया में है।

(3) यदि तलाक हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें।

हस्ताक्षर : ....
पूरा नाम: ....
पद : ....

दिनांक : ....